11/महा0 (विविध कोषांग)01/2013.....603(11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक– 14/07/2015

विषय – वर्ष–2015 के संभावित सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु अनुदेश।

महाशय,

सुखाड़ का प्रभाव आर्थिक, पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर पड़ता था। सुखाड़ के समय होने वाले बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के रोकथाम हेतु आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि संभावित बीमारियों से निपटा जा सके तथा समुचित उपचार किया जा सके। संभावित सुखाड़ को देखते हुए एक आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर ली जाय (सुलभ प्रसंग हेतु जाँच बिन्दुओं की सूची– क संलग्न है), साथ ही आवश्यक दवाओं का भंडारण कर लिया जाय तथा दवाओं को यथा शीघ्र सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तक उपलब्ध कराया जाय।

इसके अतिरिक्त सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जाय :–

(क) <u>सामान्य</u>

1. जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी समिति गठित है जिसमें उप विकास आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक/सिविल सर्जन/आपूर्ति विभाग/सहाय्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं। यह समिति अपने जिले में सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेंगे, जहाँ पर त्वरित ढंग से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जायगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी उक्त समिति को है।

(ख) <u>निरोधात्मक/उपचारात्मक</u>

603(11)
14/7/15

1. संभावित सुखाड़ होने की स्थिति में जिला स्तर पर उन जिलों में प्रभावित जगहों के आधार पर चिकित्सा दलों का गठन किया जायेंगे, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/ परिचारिका एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी सिविल सर्जन द्वारा नामित किये जायेंगे। चिकित्सा दल की संख्या प्रभावित जगहों के आधार पर जिलाधिकारी की सहमति पर भेजी जायगी।
2. सुखाड़ के समय अशक्त वर्ग विशेषतः बच्चे, दुध पिलाने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं व्योवृद्धों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रभावित जनसंख्या पोषाहार की कमी से अत्यधिक प्रभावित होती है।

सामान्यतः सुखाड़ के समय निम्न बीमारियॉ उत्पन्न होती है :–

i जलजनित – दस्त, कलरा, अतिसार, वाईरल हेपेटाईटिश, मियादी बुखार, खाने पीने की वस्तुओं से संक्रमण ।

ii पोषाहार की कमी का परिणाम–विशेषतः विटामिन्स एवं मिनरल्स की कमी।

iii संक्रमण–मिजिल्स।

iv अधिक गर्मी का प्रभाव– डिहाईड्रेसन, हिट स्ट्रोक, हिट एक्जर्शन।

v चर्म रोग– ड्रमेटाईटिश, स्केविज इत्यादि।

vi श्वास संबंधित बीमारियाँ– निमोनिया, एक्यूट ब्रोनकाईटिश, ब्रोनको निमोनिया।

vii मानसिक बीमारियों– एनजाईटी, डिप्रेशन एवं फियर (भय)।

viii वेक्टर बॉर्न – मलेरिया तथा डेंगू।

3. उपरोक्त रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निम्नलिखित दवाओं की आवश्यकता होगी :–

Sl. No.	Name of Drugs
1.	Disinfectants
2.	ORS pkts.
3.	ASVS
4.	Antibiotics
5.	Antidiarrhoeal
6.	IV Fluids
7.	IV Sets
8.	Antitussive
9.	Antiallergic
10.	Antidepressant
11.	B. Complex
12.	Skin ointment
13.	ARV

4. सुखाड प्रभावित क्षेत्रों में अन्य सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लें, इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0, ए0आर0भी0 का भंडारण सुनिशचित कर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल है । Essential Drugs के अतिरिक्त सामान्य दवाओं की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। क्रय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दवाओं का भंडारण करेंगे। दवा खरीदने की प्रक्रिया के बारे में निर्गत सभी अनुदेशो का सख्ती से पालन करेंगे। दवाओं का क्रय राज्य स्वास्थ्य समिति निर्धारित क्रय दर के अनुरूप की जायेगी ।

603(11)
14/07/15

5. सिविल सर्जन, जिलाधिकारी के सहयोग से प्रचार–प्रसार के माध्यम से संभावित प्रभावित क्षेत्रों में सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों से निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलायेंगे।

6. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पीने के जल का नमूना एकत्र करेंगे और उसकी जाँच प्रमण्डलीय प्रयोगशाला या चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे।

7. जिन क्षेत्रों में महामारी हो गई है और आक्रान्तों की संख्या ज्यादा है वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्रों के अतिरिक्त, आवश्यतानुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र/पोषाहार केन्द्र, पाठशाला, पंचायत भवन आदि में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायगा। जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है वहाँ पर उक्त अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र चलते रहेंगे और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त रह कर कार्यरत रहेंगे।

8. अतिसार एवं सर्पदंश से आक्रान्तों मरीजों की मृत्यु समय पर उपचार न होने से हो सकती है। फलस्वरूप त्वरित आधार पर सूचना प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम चौकीदार/अन्य विभागों के मौलिक कार्यकर्त्ता/स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/ सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँगे और सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत उस स्थान पर भेजेंगे एवं सुखाड़ से उत्पन्न महामारी पर नियंत्रण हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे।
9. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से सुखाड़ से उत्पन्न महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं के आधार पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
10. सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोकथाम तथा सुखाड़ के कारण आक्रांत मरीजों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन अपने जिले के अन्तर्गत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी अगले आदेश तक अथवा सुखाड़ से उत्पन्न महामारी पर नियंत्रण न पा लिया जाय तब तक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे।
11. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को अधिकार होगा कि चिकित्सा पदाधिकारी/ स्वास्थ्यकर्मियों को अप्रभावित जगहों से हटाकर प्रभावित जगहों पर सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोक थाम के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे।
12. जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से चलंत औषधालय खोला जायगा और चिकित्सा दल पर्याप्त मात्रा में दवा एवं सामग्री सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे। दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। सिविल सर्जन का दायित्व होगा कि चिकित्सा दल को गाड़ी एवं एम्बुलेंस उपलब्ध करायेंगे।
13. सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश देय नहीं होगा। यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश महामारी की अवधि तक सिविल सर्जन की अनुशंसा पर जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे। सुखाड़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जायगा एवं उन पर इसके लिए अनुषासनिक कार्यवाही की जायगी।
14. भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार सुखाड़ से प्रभावित जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत मरीजों को उपचार की जरूरत होती है।
15. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोक–थाम में यदि चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की कमी हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक की सेवाएँ अधीक्षक/ प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे सुखाड़ से उत्पन्न महामारी तक प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।

603(11)
14/07/15

16. क्षेत्रीय उप निदेषक/ सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखाड़ से उत्पन्न महामारी के समय में सघन दौरा करेंगे और इसे रोक–थाम में प्रमण्डलीय आयुक्त /जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।
17. प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक मोनिटरिंग सेल का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी सुखाड़ की अवधि तक मोनेटरिंग सेल का गठन होगा, जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। बीमारी से आक्रांतों /समुचित दवा की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी एवं निदेषालय स्वास्थ्य में दूरभाष/फैक्स/E-mail से संसूचित किया जायगा।